Web Copy - Not Official

राजस्व लोक अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार-2018"

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव सहायक कलेक्टर ब्यावर जिला–अजमेर

राजस्व वाद संख्या 22/2018

राजस्व लोक अदालत अभियान, न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प – रूपनगर

1. श्री नारायणसिंह वयस्क पुत्र श्री गोपीसिंह
2. श्री रामसिंह वयस्क पुत्र श्री गोपीसिंह
3. श्री हरनाथसिंह वयस्क पुत्र श्री गोपीसिंह

——— प्रार्थी

ब ना म

राजस्थान सरकार बजरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय, ब्यावर (राज.)

———अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांकः– 14.05.2018

प्रकरण आज राजस्व लोक अदालत अभियानः न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प कोर्ट रूपनगर में पेश हुआ। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में सारांशतः कथन किए हैं कि ग्राम सेदरिया के खसरा संख्या 294/1 रकबा 03–03–00, 294/2 रकबा 03–03–00, 294/3 रकबा 03–03–00 कुल कित्ता 3 कुल रकबा 09–09–00, स्थित है जिसके खातेदार काश्तकार प्रार्थीगण चले आ रहे हैं तथा राजस्व अभिलेखों में भी उपरोक्त आराजियात प्रार्थीगण क नाम ही अंकित चली आ रही है जो कि राजस्व रेकार्ड जमाबंदी संवत् 20725–75 से प्रमाणित है। उपरोक्त आराजियात में से खसरा नम्बर 294/1 का खातेदार काश्तकार प्रार्थी नम्बर 2, खसरा नम्बर 294/2 का खातेदार काश्तकार प्रार्थी नम्बर 1 एवं खसरा नम्बर 294/3 का खातेदार का खातेदार काश्तकार प्रार्थी नम्बर 3 चला आ रहा है। प्रार्थीगण की भूमियों की कोई पत्थरगढ़ी नहीं हो रखी है जिसकी वजह से अकारण ही विवाद होते रहते हैं तथा प्रार्थीगण ने दिनांक 7.5.2018 को अप्रार्थी भूमियों की पत्थरगढ़ी करवाने हेतु निवेदन किया किन्तु अप्रार्थी द्वारा इस हेतु सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिये। इस कारण इस प्रार्थना पत्र की आवश्यकता हुई

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार नायब तहसीलदार ब्यावर ने मज़में आम में कथन किए नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाती है तो उन्हें कोई एतराज़ नहीं है एवं इस आशय का रिपोर्ट प्रस्तुत की।

प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया कि ग्राम सेदरिया पटवार हल्का सेदरिया भू अभिलेख निरीक्षक नयानगर की जमाबन्दी संवत् 2072–75 के खाता संख्या 174 में अंकित खसरा संख्या 223 रकबा 00–02–00, 294 रकबा 09–09–00 में प्रार्थीगण नारायणसिंह रामसिंह हरनाथसिंह पि. गोपीसिंह कौम रावत सा. देह खातेदार के नाम दर्ज है तथा खाता संख्या 174 में जरिए नामान्तरकरण संख्या 1513 दिनांक 7.5.18 से अंकित खसरा संख्या 294/1, 294/2, 294/3 प्रार्थीगण के नाम दर्ज है। चूंकि उक्त वादग्रस्त आराजियात प्रार्थीगण के नाम दर्ज है एवं पेरोकार सरकार की रिपोर्ट अनुसार उक्त प्रार्थीगण पत्थरगढ़ी करवाये जाने के अधिकारी पाए जाते हैं। ऐसी स्थिति प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार ब्यावर को रू. 7000/–(अक्षरे सात हजार रूपये) फीस तय की जाकर निर्देशित किया जाता है कि ग्राम सेदरिया के खसरा संख्या 294/1 रकबा 03–03–00, 294/2 रकबा 03–03–00, 294/3 रकबा 03–03–00 कुल कित्ता 3 कुल रकबा 09–09–00 की नियमानुसार पत्थगरगढ़ी की जावे एवं प्रार्थी एवं विवादित खसरान् के पड़ौसी खातेदारान को सूचित कर एवं संबंधित हल्का पटवारी के साथ अन्य दो पास के हल्के के पटवारियान/भू अभिलेख निरीक्षक की टीम गठित कर नियमानुसार सीमांकन कर मौके पर पत्थरगढ्ढी करावें। पालना रिपोर्ट अविलम्ब ही प्रस्तुत करें ।

आदेश आज दिनांक 14–05–2018 को मज़में आम में ग्राम पंचायत नून्द्रीमालदेव में खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पीयूष समारिया)
आई0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन
सहायक कलक्टर, ब्यावर